भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1853

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

हाशिए पर रह रहे समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान

1853. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारण हैं कि केंद्रीय बजट, 2025 दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुसलमानों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, गरीबों, मजदूरों और किसानों की जरूरतों पर ध्यान देने में विफल रहा है, जबकि आवंटन में मामूली वृद्धि उनकी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त है; और

(ख) इन समुदायों के सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से लक्षित योजनाओं और समावेशी विकास पहलों के माध्यम से, मंत्रालय द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सरकार केन्द्रीय बजट में धनराशि आवंटित करती है तथा समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय करती है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध केंद्रीय बजट 2025-26 में उठाए गए इन उपायों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समाज के विभिन्न लाभवंचित वर्गों के सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं
1	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री मैट्रिक
3	यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)
4	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)
5	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण
6	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्ययालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)
7	अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
8	अनुसूचित जाति के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष)

दिनांक 11.03.2025 को श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1853 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए उपायों का विवरण।

i. 2025-26 के बजट में नई योजनाओं और सुधारों के साथ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ii. कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:-

- केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए संशोधित ब्याज अधीस्थगन योजना (एमआईएसएस) के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना;
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना- कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम;
- दलहनों में आत्मनिर्भरता;
- सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम;
- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन आदि।

(iii) बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**निम्नलिखित के लिए बजटीय आवंटन**	**संशोधित अनुमान 2024-25**	**बजट अनुमान 2025-26**
1	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,38,362.52	1,68,478.38
2	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,07,873.78	1,29,249.75
3	महिलाएँ (जेंडर बजट)	3,76,528.90	4,49,028.68
4	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,40,859.00	1,71,437.00
5	ग्रामीण विकास	1,90,675.00	2,66,817.00
6	सामाजिक कल्याण	46,482.00	60,052.00

*****